

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 (फाल्गुन 19, 1946)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वयमेव निलंबन

आज सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 को 11:09 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत स्वयमेव निलंबित हो गये :-

1. श्रीमती अनिला भेंडिया
2. श्री उमेश पटेल
3. श्री लखेश्वर बघेल
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्रीमती अंबिका मरकाम
6. श्री कुंवर सिंह निषाद
7. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
8. श्री विक्रम मण्डावी
9. श्री फूलसिंह राठिया
10. श्री बालेश्वर साहू
11. श्रीमती शेषराज हरवंश
12. श्रीमती चातुरी नंद
13. श्री संदीप साहू
14. श्री जनक ध्रुव
15. श्री ओंकार साहू

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त माननीय सदस्यों का निलंबन मध्याह्न 12:00 बजे समाप्त किया गया।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा